माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1814 / 02 / सम्ब0 / MSU / 2024–25 दिनांक : 28-12-24

कार्यालय ज्ञाप

एतत्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र संख्या–3261 / सत्तर–2–2024–16(11) / 2017 टी0सी0, दिनांक : 27 दिसम्बर, 2024 का का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु नये महाविद्यालयों / संस्थानों को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में अतिरिक्त विषयों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु संशोधित समय–सारणी निर्गत की गई है।

उक्त संशोधित समय–सारणी(संलग्न) के अनुसार इच्छुक महाविद्यालय / संस्थान ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोक्त्।

/

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
02 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
03. जिलाधिकारी, सहारनपुर / मुजफ्फरनगर / शामली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल।
05. प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
06. समस्त सम्पादक दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के सभी संस्करणों में विशेष स्थान देते हुए सर्वसाधारण के संज्ञानार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
07. प्रभारी वेबसाइट।
08. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

28-12-24

उपकुलसचिव

संख्या– 3261/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2024

विषय:–उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1968/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 09.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से निर्गत समय–सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत संशोधन किया जाता है :–

क्र0	कार्यवाही	समय–सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 जनवरी, 2025।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 31 जनवरी, 2025।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना।	दिनांक 10 फरवरी, 2025 तक।
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 फरवरी, 2025 तक।
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक।
6.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 10 मार्च, 2025 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन

		किया जायेगा। (2) तद्‌ोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 10 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अप्रैल, 2025 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2025 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2025 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2025 तक।

3– शासनादेश दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उक्त समय–सारिणी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय–सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

संख्या– 3261 /सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2024

विषय:–उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यकमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1968/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 09.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से निर्गत समय–सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत संशोधन किया जाता है :–

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यकमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 जनवरी, 2025।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 31 जनवरी, 2025।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना।	दिनांक 10 फरवरी, 2025 तक।
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 फरवरी, 2025 तक।
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक।
6.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 10 मार्च, 2025 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन

		किया जायेगा। (2) तद्ोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 10 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अप्रैल, 2025 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2025 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2025 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2025 तक।

3-- शासनादेश दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उक्त समय–सारिणी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय–सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करे।
7. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
10. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

24 Order A9 277